मेडिकल उपकरण की खरीद में 8.67 करोड़ रुपए की गड़बड़ी

एक्सक्लूसिव

■ रंजन

रांची। झारखंड में 15वें वित्त आयोग के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए सात प्रकार के डायग्नोस्टिक उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में महालेखाकार ने व्यापक अनियमितता का खुलासा किया है। ऑडिट में खुलासा हुआ है कि झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएमएचआईडीपीसीएल) द्वारा की गई खरीद में नियमों की अनदेखी, तकनीकी गड़बड़ी, वित्तीय हेरफेर और एक खास कंपनी को लाभ पहुंचाने के आरोप सामने आए हैं। ऑडिट के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया से सरकारी खजाने को 8.67 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। टेंडर 01/12/23 को जारी हुआ, जिसमें 16 कंपनियां शामिल हुईं। नौ शुद्धिपत्र जारी हुए। बाद में मेरिल डायग्नोस्टिक प्रालि. को हीमेटोलॉजी एनालाइजर पार्ट -5, हीमेटोलॉजी एनालाईजर पार्ट -3 और सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाईजर की आपूर्ति का ठेका दे दिया गया।

- महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
- ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका देने में नियमों की अनदेखी
- महंगी दर पर खरीद, समिति की सलाह दरकिनार

ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद कंपनी को मिला ठेका

सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि मेरिल डायग्नोस्टिक को राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 20 जुलाई 2023 को दो वर्षों के लिए डिबार किया था। इसके बावजूद कंपनी ने खुद को ब्लैकलिस्टेड नहीं बताया और विभाग ने भी उसे टेंडर में भाग लेने की अनुमति दे दी। ऑडिट ने कहा है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी किसी भी सरकारी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने की पात्र नहीं थी। इसके बावजूद उसे तीनों बड़े उपकरणों का ठेका दिया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है।

ऐसी शर्त रखी गई, जिसे पूरा करना संभव नहीं था

सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर के लिए एक शर्त जोड़कर प्रति मशीन हर साल 36 हजार टेस्ट करने की क्षमता मांगी गई। यानी प्रतिदिन करीब 2500 टेस्ट। जांच में पता चला यह व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं था। रिकॉर्ड में इस आंकड़े का कोई विश्लेषण भी नहीं मिला। यह शर्त कॉस्ट पर रिपोर्टेबल टेस्ट (सीपीआरटी) को प्रभावित करने और वित्तीय बोली को नियंत्रित करने के उद्देश्य से डाली गई।

डेमो में फेल मशीन को कर दिया 'क्वालिफाई': रिपोर्ट के अनुसार, 6 अगस्त 2024 को डेमो में मेरिल डायग्नोस्टक की मशीन जरूरी मानकों में फेल हो गयी। मशीन में एचएल-7 प्रोटोकॉल आधारित लैन पोर्ट और बाईडायरेक्शनल एलआईएस जैसी अनिवार्य सुविधाएं नहीं थीं। लेकिन, ऑपरेटिंग मैनुअल के आधार पर कंपनी को योग्य कर दिया गया। ऑडिट ने इसे "गंभीर प्रक्रियागत अनियमितता" बताते हुए कहा है कि इससे टू-बिड सिस्टम में जरूरी भौतिक सत्यापन प्रक्रिया को नजरअंदाज किया गया।

अन्य राज्यों से महंगी दर पर मशीनों की खरीदारी की

9 अक्तूबर 2024 को बिड प्रोसेस मैनेजमेंट कमेटी (बीपीएमसी) ने पार्ट-5 एनालाइजर के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) रोकने और पहले कीमतों की जांच करने की सिफारिश की थी। पर विभाग ने उसी दिन एलओए जारी कर दिया। मेरिल ने इसी अवधि में बीएचयू, एनटीपीसी, आयुष मंत्रालय और गुजरात सरकार को यही मशीनें 4.15 लाख से 4.99 लाख प्रति यूनिट की दर पर दी थीं। झारखंड में अधिक कीमत पर खरीद हुई। कीमत घटाई जाती तो सरकार 4.24 करोड़ बचा सकती थी।

10 साल का खर्च छिपाकर एल-वन तय किया गया

रिपोर्ट में सबसे गंभीर आपत्ति हीमेटोलॉजी एनालाइजर पार्ट-3 की वित्तीय बोली पर उठाई गई है। ऑडिट के अनुसार, रीएजेंट्स का अनुबंध 10 वर्षों के लिए था, लेकिन एल-1 करते समय केवल एक साल के रीएजेंट के खर्च को जोड़ा गया। यदि पूरे 10 वर्षों की लागत को शामिल किया जाता तो श्री फैशन सबसे कम बोलीदाता बनती। लेकिन, ऐसा नहीं किया गया और मेरिल को ठेका दे दिया।

सियासत 30s

झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ और डिप्लोमा अभियंता संघ की बुधवार को रांची में जलभवन में आयोजित बैठक में संघ के पदाधिकारी और सदस्य। ● हिन्दुस्तान

संवेदकों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन

रांची। झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ एवं डिप्लोमा अभियंता संघ ने भवन प्रमंडल संख्या दो के सहायक अभियंता रमेश टुडू के साथ मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर रोष प्रकट किया है। दोनों संगठन की बुधवार को जल भवन में हुई। जेसा अध्यक्ष समरेंद्र प्रसाद ने कहा कि केस दर्ज होने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। महासचिव सुभाष प्रसाद ने कहा कि मामले की जानकारी जल्द ही मुख्यमंत्री को भी दी जाएगी। इसके बाद आंदोलन किया जाएगा।

विजय शंकर बने प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता

रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी में विजय शंकर नायक को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, राज्य प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहित अन्य को धन्यवाद किया है।

नवीन केडिया को इंग्लैंड जाने पर सुनवाई कल

रांची। बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी शराब कारोबारी नवीन केडिया की इंग्लैंड जाने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को एसीबी कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने जवाब दाखिल करने के लिए एक बार फिर से समय की मांग की। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 29 मई निर्धारित की है।

सुरेंद्र झा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विरमित

रांची। झारखंड कैडर के 2010 बैच के आईपीएस सुरेंद्र कुमार झा को राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विरमित कर दिया। सुरेंद्र झा जल्द ही बीएसएफ मुख्यालय में बतौर डीआईजी योगदान देंगे। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर सुरेंद्र झा को विरमित करने का निर्देश दिया था।

सोशल मीडिया से

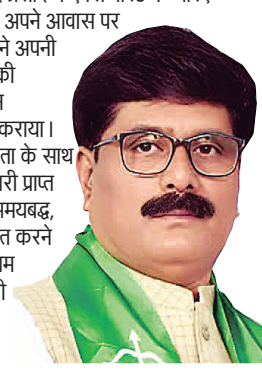

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने एक्स पोस्ट के जरिए बताया है कि उन्होंने रांची स्थित अपने आवास पर क्षेत्र के कई लोगों से मुलाकात की। लोगों ने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के साथ-साथ क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। सभी की बातें को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनीं और प्रत्येक विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि आम जनता की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण किया जा सके।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की

पंचायत भवनों में सॉलिड बेस्ड प्रबंधन की योजना तैयार करें

बोले हेमंत

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को पंचायती राज्य विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंचायतों के माध्यम से बाल विवाह की रोकथाम, महिला हिंसा की रोकथाम, हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देने और इसे लेकर आमजनता को जागरूक करें।

उन्होंने विशेषज्ञों की मदद से पंचायत भवनों में भी सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट के लिए कार्य योजना तैयार करने तथा सूखा एवं गीला कचरा को अलग-अलग रखने के लिए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्लास्टिक को भी सेग्रीगेट (पृथक्करण) करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवालय प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने तथा पंचायत भवनों में शुद्ध पेयजल, शौचालय, स्वच्छता एवं लाइट जैसी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

डिजिटल पंचायत व्यवस्था के तहत बुधवार को लाभुक से ऑनलाइन बात करते सीएम।

समग्र विकास की योजना बनाकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं: बैठक में पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा राज्य में संचालित विकास योजनाओं की अद्यतन कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। सीएम सोरेन ने ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना, सड़क संपर्क, पंचायत स्तरीय सेवाओं एवं विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की बेहतर कार्य योजना बनाते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। बैठक के प्रारंभ में विभागीय सचिव ने विभिन्न भवनों परिसंपत्तियों का निर्माण, मरम्मती एवं नवीनीकरण संबंधी जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इधर, ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा में विभागीय सचिव ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

पंचायत से मिलने वाली सभी सेवाओं का दें लाभ

सीएम सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आमजनों को पंचायत सचिवालय से मिलने वाली सभी सेवाओं का लाभ ससमय मिले। उन्हें अनावश्यक परेशानी नहीं उठाना पड़े। उन्होंने पंचायत में डिजिटल सेवाओं के विस्तार एवं योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने पर बल दिया, ताकि ग्रामीण व्यक्तियों को लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने तथा विकास कार्यों में पंचायत स्तर पर जनभागीदारी बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिया।

ग्रामीण सड़कों के निर्माण व मरम्मत कार्यों में तेजी लाए

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क निर्माण कार्यों के गुणवत्ता पर भी विशेष बल दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क से विकास को गति मिलेगी। इससे गांवों की आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत होगी।

डिजिटल पंचायत की दिखी ताकत, सीएम ने की बातचीत

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड अंतर्गत बोड़बांध ग्राम पंचायत में डिजिटल पंचायत व्यवस्था की प्रभावशीलता उस समय साफतौर पर देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक के दौरान सीधे पंचायत स्तर से संवाद किया। इस दौरान कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालक बिनोद मरांडी ने मुख्यमंत्री को बताया कि किस प्रकार गांव में ही डिजिटल माध्यम से लोगों के कार्य सरल, पारदर्शी और तेजी से किए जा रहे हैं। मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह भी मौजूद रहीं।

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने मंईयां सम्मान योजना के दस्तावेज़ सत्यापन के लिए पहुंची एक महिला लाभुक से भी बातचीत की। महिला ने बताया कि अब योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि पंचायत स्तर पर ही सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। सीएम ने कहा कि महिला बाल विकास विभाग सभी जिला को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करवाने का काम करे कि अनावश्यक किसी मंईयां को परेशान न किया जाए। मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं के विस्तार और आम लोगों तक योजनाओं की आसान पहुंच को झारखंड के बदलते स्वरूप की पहचान बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि सशक्त पंचायत, आत्मनिर्भर गांव और बेहतर ग्रामीण प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम है। विभागीय मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य की जरूरतों के अनुरूप योजनाओं के निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश दिया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला समूहों को स्कूल पोशाक, नोटबुक और गर्म कपड़ों के निर्माण जैसे कार्यों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया।

सीएम की नजर पंचायत भवन के बंद पंखे पर पड़ी

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री की नजर पंचायत भवन के बंद पंखे पर पड़ी। स्वीच ऑन करते ही पंखा चलने लगा, जिसके बाद उन्होंने पंचायत भवनों में बिजली समेत सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल पंचायत पहल ग्रामीण जनता और सरकार के बीच दूरी कम कर पारदर्शी एवं सशक्त ग्रामीण प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रही है।

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक
Punjab National Bank ...the name you can BANK upon !

ARMB, राँची (पता: एस. एन. गांगुली रोड, राधेश्याम लेन, रांची, जिला – राँची, झारखंड – 834001 | फोन : 7300705205, ई-मेल: cs6794@pnb.bank.in

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एंव 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद् द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं एंव जमानतदारों को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों को सुरक्षित लेनदार को बंधक/ प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक/ भौतिक/ सांकेतिक जो भी लागू हो जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूति लेनदार द्वारा लिया गया है। सम्बंधित उधारकर्ताओं एंव जमानतदारों से बैंक/ सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित तिथि पर **"जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है"** पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि सम्बंधित सम्पत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लिखित है।

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / उधारकर्त्ता/जमानतदारों के खाता का नाम एवं पता	बंधक/ स्वामी के नाम के अचल सम्पत्तियों का विवरण (बंधककर्त्ता की सम्पत्ति (यों)	A) 13(2) SARFAESI एक्ट के तहत डिमांड नोटिस की तिथि / B) डिमांड नोटिस की तिथि तक बकाया राशि / C) कब्जा की तिथि 13(4) SARFAESI एक्ट 2002 के अनुसार / D) कब्जा का प्रकार सांकेतिक/ भौतिक/ रचनात्मक	A) आरक्षित मुल्य (रू0 लाख में) / B) इएमडी / C) बोली वृद्धि राशि / D) Baanknet प्रॉपर्टी आईडी	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
01	शाखा कायार्लय : **आदित्यपुर** (289400) **मेसर्स प्रधान राइस प्रोडक्ट्स (प्रोप्राइटर श्रीमती झरना प्रधान)** **मेसर्स प्रधान राइस प्रोडक्ट्स श्रीमती झरना प्रधान (स्वर्गीय जतिन्द्र प्रधान की विधिक उत्तराधिकारी एवं उत्तरवर्ती)** **नीरज कुमार,** पिता श्री श्याम नंदन शर्मा **आंजना प्रधान,** पति श्री राज किशोर **दिलीप प्रधान,** पिता श्री राज किशोर **अजीत प्रधान,** पिता श्री राज किशोर	भूमि के सभी भाग जो, प्लॉट संख्या 423, खाता संख्या 122, थाना – राजनगर, मौजा – गम्हरिया, थाना संख्या 156, हल्का संख्या 08, सरायकेला-खरसावां स्थित है, जो जतिन्द्र प्रधान, अजीत प्रधान एवं दिलीप प्रधान, सभी पिता – राज किशोर प्रधान के नाम पर निबंधित है, क्षेत्रफल – 2 एकड़ 10 डिसमिल, विक्रय विलेख संख्या 5465/5483 दिनांक 13/10/2010 के माध्यम से, जिसकी **चौहद्दी निम्न प्रकार है :** उत्तर : मकरध्वज, दक्षिण : फकीर, पूर्व : विक्रेता निज, पश्चिम : डुंगरी। भूमि के सभी भाग जो, प्लॉट संख्या 437, खाता संख्या 123, थाना – राजनगर, मौजा – गम्हरिया, थाना संख्या 156, हल्का संख्या 08, सरायकेला-खरसावां स्थित है, जो जतिन्द्र प्रधान, पिता – राज किशोर प्रधान के नाम पर निबंधित है, क्षेत्रफल – 40 डिसमिल, विक्रय विलेख संख्या 1184/1189 दिनांक 11.04.2012 के माध्यम से, जिसकी **चौहद्दी निम्न प्रकार है :** उत्तर : मकरध्वज कुम्हार, दक्षिण : फकीर कुम्हार, पूर्व : क्रेता निज, पश्चिम : डुंगरी। आवासीय भूमि के सभी भाग जो, प्लॉट संख्या 464, खाता संख्या 122, हल्का संख्या 08, राजनगर, मौजा – गम्हरिया, थाना संख्या 156, सरायकेला-खरसावां स्थित है,जो दिलीप प्रधान, पिता – राज किशोर प्रधान के नाम पर निबंधित है, क्षेत्रफल – 84 डिसमिल, विक्रय विलेख संख्या 1857/1829 दिनांक 20/06/2014 के माध्यम से, जिसकी **चौहद्दी निम्न प्रकार है :** उत्तर : अश्वनी प्रधान, दक्षिण : मधुसूदन, पूर्व : विक्रेता निज, पश्चिम : गाँव की सड़क।	A) 26.06.2025 B) Rs. 3,89,42,345.21 + further interest C) 22.10.2025 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs 3,66,42,000.00 B) Rs. 36,64,200.00 C) Rs 5,00,000.00 D) PUNB49U9671062	16.06.2026 11:00 AM to 04:00 PM
02	शाखा कायार्लय : **आदित्यपुर** (289400) **मेसर्स प्रधान राइस प्रोडक्ट्स (प्रोप्राइटर श्रीमती झरना प्रधान)** **मेसर्स प्रधान राइस प्रोडक्ट्स श्रीमती झरना प्रधान (स्वर्गीय जतिन्द्र प्रधान की विधिक उत्तराधिकारी एवं उत्तरवर्ती)** **नीरज कुमार,** पिता श्री श्याम नंदन शर्मा **आंजना प्रधान,** पति श्री राज किशोर **दिलीप प्रधान,** पिता श्री राज किशोर **अजीत प्रधान,** पिता श्री राज किशोर	आवासीय फ्लैट संख्या 112, प्रथम तल, जिसका सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल 1160 वर्गफुट है, जिसमें एक कार पार्किंग स्थान संख्या C/6 सहित, "हिल व्यू गार्डेन" नामक भवन में स्थित, तथा प्लॉट संख्या 1733, 1735, 1736 एवं 1737 के हिस्से में स्थित भूमि के आनुपातिक अविभाजित हिस्से, क्षेत्रफल 392.65 वर्गफुट, जो खाता संख्या 444, 470 एवं 538 में दर्ज है, मौजा – मानगो (डिमना), थाना – एम.जी.एम., वार्ड संख्या 9, एम.एन.ए.सी., नगर – जमशेदपुर में स्थित है, श्री नीरज कुमार, पिता – श्याम नंदन शर्मा के नाम पर निबंधित है। उक्त संपत्ति का क्षेत्रफल 1160 वर्गफुट है, जो विक्रय विलेख संख्या 2467/1871 दिनांक 22/04/2013 के माध्यम से दर्ज है।	A) 26.06.2025 B) Rs. 3,89,42,345.21 + further interest C) 22.10.2025 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs 34,46,700.00 B) Rs. 3,44,670.00 C) Rs 1,00,000.00 D) PUNBQ4A66248594	16.06.2026 11:00 AM to 04:00 PM
03	शाखा कायार्लय : **आदित्यपुर** (289400) **मेसर्स प्रधान राइस प्रोडक्ट्स (प्रोप्राइटर श्रीमती झरना प्रधान)** **मेसर्स प्रधान राइस प्रोडक्ट्स श्रीमती झरना प्रधान (स्वर्गीय जतिन्द्र प्रधान की विधिक उत्तराधिकारी एवं उत्तरवर्ती)** **नीरज कुमार,** पिता श्री श्याम नंदन शर्मा **आंजना प्रधान,** पति श्री राज किशोर **दिलीप प्रधान,** पिता श्री राज किशोर, **अजीत प्रधान,** पिता श्री राज किशोर	आवासीय भूमि के सभी भाग जो, मौजा – मुदियापाड़ा, थाना – राजनगर, थाना संख्या 154, खाता संख्या 54 अंतर्गत स्थित है, जिसमें प्लॉट संख्या 647, गोड़ा-I, क्षेत्रफल 13 डिसमिल तथा प्लॉट संख्या 654, गोड़ा-I, क्षेत्रफल 3 डिसमिल, कुल क्षेत्रफल 16 डिसमिल, कुल दो प्लॉट, जिला – सरायकेला-खरसावां स्थित है, जो श्रीमती आंजना प्रधान, पति श्री राज किशोर प्रधान के नाम पर विक्रय विलेख संख्या 3381/3316 दिनांक 23/11/1987 के माध्यम से निबंधित है।	A) 26.06.2025 B) Rs. 3,89,42,345.21 + further interest C) 22.10.2025 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs 1,01,36,000.00 B) Rs. 10,13,600.00 C) Rs 1,00,000.00 D) PUNBQ4A66248734	16.06.2026 11:00 AM to 04:00 PM

प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात भार का विवरण - बैंक को ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें

बिक्री सुरक्षा (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।

01. सम्पत्तियों को **"जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जा रहा है।
02. अनुसूचि में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसम्पत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जबावदेह नही होगा।
03. बिक्री वेबसाइट **https://baanknet.com** पर ई-नीलमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक **16.06.2026 को अपराह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक की जाएगी।**
04. उपरोक्त उल्लिखित बयाना राशि (EMD) को PSB Alliance Private Limited के E-Wallet में (**http://baanknet.com**) पोर्टल के माध्यम से सीधे जमा किया जाएगा अथवा उसी पोर्टल पर चालान (Challan) उत्पन्न कर, उसमें दिए गए खाते के विवरण के अनुसार RTGS/NEFT के माध्यम से EMD जमा किया जाएगा। यह राशि **दिनांक 15.06.2026 को 16:00 बजे से पूर्व** अनिवार्य रूप से जमा की जानी चाहिए।
05. बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** और **www.pnb.bank.in** पर देखें।

SARFAESI अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना

तिथि : 21.05.2026
स्थान : सरायकेला

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूति दाता